

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २१ सन् २०१४

### मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१४

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१४ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) धारा ७ का संशोधन (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७ में, उपधारा (२) में, परन्तुक में.—

(एक) शब्द “एक वर्ष” के स्थान पर, शब्द “दो वर्ष” स्थापित किए जाएं.

(दो) अंत में, शब्द “और राज्य सरकार, विनियामक आयोग की सिफारिश पर वैधता की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक के लिये बढ़ा सकेगी” जोड़े जाएं.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १२ और उससे संबंधित प्रविष्टियों, के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची का संशोधन अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

| अनु-<br>क्रमांक | निजी विश्वविद्यालय<br>का नाम                        | प्रायोजी<br>निकाय<br>का नाम                                                                                     | प्रायोजी निकाय<br>की स्थापना की<br>पद्धति                                                                        | मुख्य परिसर                                                                                            | अधिकारिता                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (१)             | (२)                                                 | (३)                                                                                                             | (४)                                                                                                              | (५)                                                                                                    | (६)                      |
| “१३.            | सर्वपल्ली<br>राधाकृष्णन<br>विश्वविद्यालय,<br>भोपाल. | आर.के.डी.एफ.<br>एजुकेशन सोसायटी,<br>२०२ गंगा-जमुना,<br>काम्पलेक्स, जोन-१,<br>एम. पी. नगर,<br>भोपाल.             | मध्यप्रदेश सोसाइटी<br>रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,<br>१९७३ (क्रमांक ४४<br>सन् १९७३) के अधीन<br>रजिस्ट्रीकृत<br>सोसाइटी. | सर्वपल्ली राधाकृष्णन<br>विश्वविद्यालय, एन.<br>एच. १२, होशंगाबाद<br>रोड, जाटखेड़ी,<br>भोपाल.            | सम्पूर्ण<br>मध्यप्रदेश   |
| १४.             | एल एन सी टी<br>विश्वविद्यालय,<br>भोपाल.             | एच. के. कल्चुरी<br>एज्युकेशन ट्रस्ट,<br>३१-श्यामला हिल्स,<br>भारत भवन रोड,<br>भोपाल.                            | मध्यप्रदेश पब्लिक<br>ट्रस्ट एक्ट, १९५१<br>(क्रमांक ३० सन् १९५१)<br>के अधीन रजिस्ट्रीकृत<br>लोक न्यास.            | एल एन सी टी<br>विश्वविद्यालय,<br>जे. के. टाऊन,<br>सर्वधर्म सी-सेक्टर,<br>कोलार रोड,<br>भोपाल.          | सम्पूर्ण<br>मध्यप्रदेश   |
| १५.             | श्री वैष्णव विद्यापीठ<br>विश्वविद्यालय,<br>इन्दौर.  | श्री वैष्णव विद्यापीठ<br>ट्रस्ट श्री वैष्णव<br>विद्या परिसर,<br>१७७-जवाहर मार्ग,<br>साऊथ रज मोहल्ला,<br>इन्दौर. | मध्यप्रदेश पब्लिक<br>ट्रस्ट एक्ट, १९५१<br>(क्रमांक ३० सन् १९५१)<br>के अधीन रजिस्ट्रीकृत<br>लोक न्यास.            | श्री वैष्णव विद्यापीठ<br>विश्वविद्यालय,<br>विश्वविद्यालय परिसर,<br>ग्राम बारोली, सांवेर<br>रोड, इंदौर. | सम्पूर्ण<br>मध्यप्रदेश.” |

निरसन तथा व्यावृत्ति.

४. (१) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक २ सन् २०१४) तथा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१४) एतद्वारा निरसित किए जाते हैं.

(२) उक्त अध्यादेशों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

देश की आर्थिक प्रगति तथा कौशल आधारित रोजगार की मांग में वृद्धि के कारण उच्च शिक्षा में, परम्परागत शिक्षा की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा में बहुत तेजी से प्रगति हो रही है. अतः यह स्वभाविक है कि स्थापित किए जा रहे नवीन निजी विश्वविद्यालयों में अधिकतर पाठ्यक्रम व्यावसायिक प्रकार के हैं, जैसे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, औषध निर्माण विज्ञान, प्रबंधन, दंत चिकित्सा, सह-चिकित्सा, परिचर्या, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन इत्यादि. इन पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न विनियामक निकाय हैं, जो पाठ्यक्रम और उसकी विषय-वस्तु, अपेक्षित अधोसंरचना, अध्यापन और अध्यापनेतर, कर्मचारिवृन्द, उनकी संख्या तथा अर्हताएं, प्रवेश के लिये पात्रता, प्रवेश की प्रक्रिया, फीस और ऐसे ही अन्य विषयों के लिए मानक स्थापित करते हैं. ऐसे सभी मानकों का पालन अनिवार्य होता है तथा इन प्रक्रियाओं में प्रायोजी निकायों को समय लगना स्वाभाविक है.

२. अतः प्रायोजी निकायों के लिये अधोसंरचना संबंधी कार्य पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि किए जाने की आवश्यकता है. इसके साथ ही राज्य में निजी निवेशकों के प्रोत्साहन तथा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ७ की उपधारा (२) में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक ३ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाए.

३. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के प्रकाश में, विनियामक आयोग ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय के नाम से एन एच १२, होशंगाबाद रोड, जाटखेड़ी, भोपाल में एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के प्रकाश में राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विश्वविद्यालय के प्रायोजी निकाय को एक आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा ९ में उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण से संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक २ सन् २०१४) इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था. अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेश के स्थान पर राज्य विधान मण्डल का अधिनियम नवीन प्रस्तावित एल. एन. सी. टी. विश्वविद्यालय, भोपाल एवं श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर के नाम तथा विवरण को सम्मिलित करते हुए, विधि की समान प्रक्रिया को अपनाते हुए उपांतरणों के साथ लाया जाए.

४. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख ५ दिसम्बर, २०१४.

उमाशंकर गुप्ता

भारसाधक सदस्य.

## अध्यादेश के संबंध में विवरण

प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं छात्रों के समग्र विकास एवं शिक्षा के समुचित साधन उपलब्ध कराने हेतु एक नये निजी विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त म. प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१४ द्वारा अधिनियम, २००७ की अनुसूची में नये निजी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किया जाना आवश्यक था। चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, इसलिए म. प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अध्यादेश, २०१४ इस प्रयोजन के लिये प्रख्यापित किया गया था।

२. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा जिन संस्थाओं को आशय पत्र द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१३ के पूर्व जारी किए गए थे, की वैधता दिनांक ११-०९-२०१४ को समाप्त होने के कारण एवं संस्थाओं को जारी आशय पत्र की तिथि में समानता की दृष्टि से धारा ७(२) में संशोधन हेतु द्वितीय संशोधन अध्यादेश, २०१४ भी लागू पड़ा था।

३. अन्य दो निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने से इन्हें भी द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१४ में एकजोड़ रूप से शामिल किया गया।

अब यह प्रस्तावित है कि उक्त अध्यादेशों के स्थान पर राज्य विधान-मंडल का अधिनियम, बिना किसी उपांतरण के लाया जाए।

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा।

### उपाबंध

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७  
(क्रमांक १७ सन् २००७) से उद्धरण.

\*

\*

\*

\*

\*

धारा - ७ “(२) के परन्तुक मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१३ के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किए गए आशय पत्र की वैधता उपरोक्त अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के लिये होगी.”

धारा - १ से ४३

\*

\*

\*

\*

### अनुसूची

[धारा ९(१) देखिए]

| अनु-<br>क्रमांक | निजी विश्वविद्यालय<br>का नाम                                                 | प्रायोजी<br>निकाय<br>का नाम                                                          | प्रायोजी निकाय<br>की स्थापना की<br>पद्धति                                                                | मुख्य परिसर                                                                                    | अधिकारिता               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (१)             | (२)                                                                          | (३)                                                                                  | (४)                                                                                                      | (५)                                                                                            | (६)                     |
| “१.             | जे. पी. अभियांत्रिकी<br>एवं प्रौद्योगिकी<br>विश्वविद्यालय, राघौगढ़,<br>गुना. | जयप्रकाश सेवा .<br>संस्थान न्यास,<br>नई दिल्ली.                                      | रजिस्ट्रीकृत<br>लोक न्यास.                                                                               | जे.पी. अभियांत्रिकी एवं<br>प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय<br>परिसर राघौगढ़, जिला<br>गुना.          | सम्पूर्ण<br>मध्यप्रदेश” |
| २.              | आइसेक्ट विश्वविद्यालय,<br>भोपाल.                                             | ऑल इण्डिया<br>सोसाइटी फॉर<br>इलेक्ट्रॉनिक<br>एण्ड कम्प्यूटर<br>टेक्नोलॉजी,<br>भोपाल. | मध्यप्रदेश<br>रजिस्ट्रीकरण<br>अधिनियम, १९७३<br>(क्रमांक ४४ सन्<br>१९७३) के अधीन<br>रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी. | आइसेक्ट विश्वविद्यालय,<br>ग्राम-मेंदुआ,<br>भोपाल-चिकलोद रोड,<br>तहसील-गौहरगंज,<br>जिला-रायसेन. | सम्पूर्ण<br>मध्यप्रदेश” |
| ३.              | एमीटी विश्वविद्यालय,<br>ग्वालियर.                                            | रितनन्द बालवेद<br>एजुकेशन<br>फाउंडेशन,<br>नई दिल्ली.                                 | मध्यप्रदेश<br>रजिस्ट्रीकरण<br>अधिनियम, १८६०<br>(क्रमांक २१ सन्<br>१८६०) के अधीन<br>रजिस्ट्रीकृत सोसायटी. | एमीटी विश्वविद्यालय,<br>महाराजपुरा डांग,<br>ग्वालियर.                                          | सम्पूर्ण<br>मध्यप्रदेश” |
| ४.              | ओरिएण्टल<br>विश्वविद्यालय,<br>इन्दौर.                                        | देवी शकुंतला<br>ठकराल चेरिटेबल<br>फाउंडेशन,<br>भोपाल.                                | मध्यप्रदेश<br>रजिस्ट्रीकरण<br>अधिनियम, १९७३<br>(क्रमांक ४४ सन्<br>१९७३) के अधीन<br>रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी. | ओरिएण्टल विश्वविद्यालय,<br>सांवेर रोड, रेवती रेंज के<br>सामने, जखया, इन्दौर.                   | सम्पूर्ण<br>मध्यप्रदेश” |
| ५.              | पीपुल्स विश्वविद्यालय,<br>भोपाल.                                             | सार्वजनिक<br>जनकल्याण<br>परमार्थिक न्यास,<br>भोपाल.                                  | मध्यप्रदेश पब्लिक<br>ट्रस्ट, १९५१<br>(क्रमांक ३० सन्<br>१९५१) के अधीन<br>रजिस्ट्रीकृत लोक<br>न्यास.      | पीपुल्स विश्वविद्यालय,<br>पीपुल्स ग्रुप, बाय-पास<br>रोड, भानपुर, भोपाल.                        | सम्पूर्ण<br>मध्यप्रदेश” |

| (१) | (२)                                                                  | (३)                                                      | (४)                                                                                               | (५)                                                                                                     | (६)                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ६.  | आई.टी.एम. युनिवर्सिटी ग्वालियर.                                      | समता लोक संस्थान, ट्रस्ट, ग्वालियर.                      | मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी. | आई.टी.एम. युनिवर्सिटी परिसर, एन.एच. ७५ झांसी रोड, सिंथौली, ग्वालियर.                                    | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''  |
| ७.  | रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, भोपाल.                                | आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल.               | मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी. | रामकृष्ण धर्मार्थ युनिवर्सिटी, आर.जी.पी.व्ही. परिसर, एयरपोर्ट बायपास के पास, गोंदरमऊ, गांधी नगर, भोपाल. | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''  |
| ८.  | स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी, सागर.                                  | प्रखर प्रज्ञा शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति, सागर. | मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी. | स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, एन.एच.-२६ ग्राम-सिरोंजा, सागर.                                          | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''  |
| ९.  | ए.के.एस. युनिवर्सिटी, सतना.                                          | ए.के.एस. चेरिटबल ट्रस्ट, सतना.                           | मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.         | ए.के.एस. युनिवर्सिटी, शेरगंज, पन्ना रोड, सतना.                                                          | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''  |
| १०. | टेक्नो-ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला-विदिशा.                    | टेक्नो इंडिया ट्रस्ट, कोलकाता.                           | भारतीय न्यास अधिनियम, १९८२ (१९८२ का २) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास.                            | टेक्नो ग्लोबल विश्वविद्यालय, सिरोंज, जिला-विदिशा.                                                       | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''  |
| ११. | जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, भोपाल.                                 | जागरण सोशल वेलफेयर, सोसाइटी, भोपाल.                      | मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ क्रमांक ४४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी. | जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत, मुंगालिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल.                          | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''  |
| १२. | श्री सत्यसाई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर. | आयुष्मति एजुकेशन एण्ड सोशल सोसायटी, भोपाल.               | मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्र. ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसायटी.    | श्री सत्यसाई प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर.                                    | सम्पूर्ण मध्यप्रदेश''. |

भगवानदेव ईसरानी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.